[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

की घोषणा गवर्नमेंट ही कर सकती है । सत्तारूढ़ पार्टी का कोई प्रेसीडेंट इस बात की घोषणा नहीं कर सकता । श्री कामराज ने जो यह घोषणा की है कि सब कमेटी ने फैसला कर लिया है बिल का ड्राफ्ट हो रहा है और वह बिल इसी सेशन में आयेगा यह घोषणा प्रधान मंत्री या गृह मंत्री ही कर सकते हैं लेकिन कांग्रेस का प्रेसीडेंट इस घोषणा को नहीं कर सकता यह हमारे कहने का अभिप्राय है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता ।

श्री बृजराज सिंह (बरेली) : प्रधान मंत्री कुछ कहना चाहते हैं उन्हें कहने दिया जाय

Dr. M. S. Aney (Nagpur): You have made a distinction between impropriety or want of courtesy to the House and contempt of the House. That is a very fine distinction. What is the way to judge whether it is impropriety or contempt whether it is done by the members of the Government or other persons? In my opinion, it is dangerous to draw such a line of distinction between impropriety and contempt.

Mr. Speaker: The hon. Member did not follow me. I said that if it had been made by a member of the Government, the question of impropriety would arise, not if somebody makes it.

श्री बागड़ी (हिसार) : क्या यह सारी सरकार ने मिल कर फैसला किया है इस बारे में प्रधान मंत्री हमें बतलायें . . . . (इंटरप्शंस)

अध्यक्ष महोदय : पहला सवाल यह है कि इसमें मैं भी बहुत जिद करता हूं और मुझे प्रोसीडिंग के मैम्बर्स इसके लिये माफ करें । मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने इस पर अपनी मंजूरी नहीं दी उसके बाद मेम्बरों द्वारा यह फोर्स करना कि हम जरूर इस बात पर बहस करेंगे, वे अपनी इस जिद पर कायम रहेंगे या वह मेरी बात और मेरे फैसले को मान लेंगे ? मैं चाहूंगा कि अब भी वह मेरी बात को मान लें और इस वक्त इस को न उठायें क्योंकि मैंने इसकी कंसेंट नहीं दी है ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : मैं एक दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इस वक्त मुझे काम करने दीजिये ।

12.24½ hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE —*contd.*

NOTIFICATION UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 524 dated the 3rd April, 1965, extending the Imported Foodgrains (Prohibition of Unauthorised Sale) Order, 1958, to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library, see No.* LT-4187/65].

12.25 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

PRESENTATION OF FOURTH REPORT

Shri A. C. Guha (Barasat): I beg to present the Sixty-ninth Report of the Estimates Committee on the Ministry of Transport—Vishakapatnam and Tuticorin Ports.